झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:– 2/पी०एम०सी०/कार्य–584/2018– .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत "काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु रू० 93.68 करोड़ (रूपये तीरानवे करोड़ अरसठ लाख) मात्र का कार्य" कराने हेतु CADWM के ACA मद में राशि अप्राप्त रहने के कारण राज्य योजना मद से रू० 85.75 करोड़ के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत "काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं **जल प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु रू० 93.68 करोड़ (रूपये तीरानवे करोड़ अरसठ लाख) मात्र का कार्य" कराने हेतु CADWM के ACA मद में राशि अप्राप्त रहने के कारण राज्य योजना मद से रू० 85.75 करोड़ के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

3. इस वीयर योजना का निर्माण वर्ष 1966 में पूर्ण कराया गया। इस योजना से राँची जिले के चार प्रखण्ड बुण्डु, तमार, सोनाहातू एवं इटकी प्रखण्ड के 125 गाँवों में सिंचाई दी जाती है। इस योजना का Gross Command Area (GCA) 34210 हे० तथा Culturable Command Area (CCA) 21235 हे० है तथा सृजित सिंचाई क्षमता 17800 हे० है।

4. मंत्रिपरिषद् द्वारा दिये गये स्वीकृति के आलोक में विभागीय पत्रांक– 2/पी०एम०सी०/कार्य–395/2015– 40/15–16 प्र०स्वी०/राँची दिनांक 16.12.2015 द्वारा रू० 93.68 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की गई थी, जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 50 : 50 के अनुपात में व्यय का वहन किया जाना था।

5. भारत सरकार के CADWM Programme अन्तर्गत इस योजना हेतु ACA मद में राशि अब प्राप्त नहीं होगी। अतः योजना का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से किये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद् द्वारा लिया गया है।

6. CADWM योजना का कार्य अब ISBIG के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है, फलस्वरूप CADWM के अन्तर्गत Central Share प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

CWC द्वारा निर्गत ISBIG Guidelines के अनुसार वर्ष 2016–17 से 99 prioritised AIBP Projects के लिये ही CADWM का कार्य कराया जायेगा।

7. ISBIG के तहत् योजना की स्वीकृति प्राप्त करने में काफी समय लगने की संभावना है, जिसके कारण चालू कार्यों का भुगतान नहीं हो पायेगा। CADWM का कार्य समय से पूरा नहीं हो पायेगा।

8. मंत्रिपरिषद् की दिनांक 05.06.2018 की बैठक में मद सं०–'01' के रूप में सम्मिलित इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यों को दो वर्षों में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

10. इस कार्य के कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची, नियंत्री पदाधिकारी होंगे एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

11. इस योजना पर होने वाला व्यय

(i) "मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष '4701'– मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–62– मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य। इसके अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में रू० 2600.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है, जिसके अधीन काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत "कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन" के कार्य पर होने वाला व्यय विकलनीय होगा।

12. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. कार्य के लिये राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची (कचहरी) से की जायेगी।

14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

16. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

18. पूर्व में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति इस हद तक संशोधित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—584 / 2018— .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना —सह— वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—584 / 2018— .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची (कचहरी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / —
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 2 / पी०एम०सी० / कार्य—584 / 2018— 1918-199 खी. / राँची, दिनांक 10.07.2018

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1 / 2, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डु / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / वेब सूचना प्रबंधक, ज़ल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
10/07/18